

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर : 9/12/2021

प्रकरण संख्या : 32/2021

अनवान

शंकरीदेवी पत्नि राजमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज.

..... प्रार्थी

बनाम

01. कमलेश पुत्र छीतरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज.
02. प्रकाशचन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज.
03. अशोक कुमार पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज.
04. रामेश्वरलाल पुत्र नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज.

..... विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 9/12/2021

प्रार्थना पत्र शंकरीदेवी पत्नि राजमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 307 पर अंकित आराजी सं. 873/3 रकबा 0.8094 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान बिजौलिया में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 307 पर अंकित आराजी सं. 873/3 रकबा 0.8094 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा विवादी)  
उपखण्ड अधिकारी  
गाँवों के संग अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां (भीलवाड़ा)